माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, ग्वालियर – 05

क्रमाँकः मु.ऑ. / 2017 / 47 दिनाँक : 09.08.2017

सूचना

संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमाँक / 5 / एम.एम.व्ही.वाय / 2017 / 76 भोपाल दिनाँक 01.08.2017 के अनुसार म.प्र. शासन द्वारा 2017–18 से मेधावी विद्यार्थी योजना प्रारंभ की गई है। उप सचिव मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के संशोधित आदेश क्रमाँक एफ 5–6 / 2017 / 42 (1) के अनुसार इस योजना हेतु शर्तें निम्नानुसार हैं। :

- **पात्रता की शर्तें**

1. विद्यार्थी मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
2. विद्यार्थी के पिता / पालक की वार्षिक आय 6 लाख से कम हो।
3. छात्र के पास आधार कार्ड हो।
4. विद्यार्थी ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा वर्ष 2016 अथवा उसके पश्चात् आयोजित 12 वीं की परीक्षा 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों अथवा सीबीएसई / आइसीएसई द्वारा वर्ष 2016 अथवा उसके पश्चात् आयोजित 12 वीं की परीक्षा 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो।
5. कोई भी विद्यार्थी जिसने जेईई मेन्स परीक्षा में रैंक 50 हजार के अंतर्गत हो, अगर विद्यार्थी किसी भी शासकीय / अनुदान प्राप्त कॉलेज में प्रवेश प्रापत करता है तो कॉलेज को देय शुल्क शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

- **योजना की अन्य शर्तें**

1. छात्रों को संस्था के नियमानुसार विषय तथा पाठ्यक्रम को समय–सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा।
2. विद्यार्थी द्वारा राज्य / केन्द्र शासन की किसी अनय योजना से सहायता प्राप्त होने की स्थिति में वह अंतर की राशि प्रापत कर सकेगा।
3. समस्त मध्यप्रदेश के युवा जो इस योजना के लाभार्थी होंगे व उनका परिवार स्वेच्छा से शिक्षा पूर्ण होने के उपंरात मध्यप्रदेश सरकार द्वारा स्थापित फण्ड में उनके जैसे अन्य छात्रों की सेवा हेतु इस योजना कें अंतर्गत प्रदाय की गई राशि को वापिस जमा करा सकेंगे।

(इंजी. शैलेन्द्र सिंह भदौरिया)
रजिस्ट्रार

प्रतिलिपी :

1. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल, म.प्र.।
2. नोडल प्रभारी, डॉ. भीमराव अम्बेडकर, पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, नाका चंद्रवदनी, ग्वालियर, म.प्र.।
3. डीन, स्टूडेण्ट वैलफेयर।
4. डीन अकादमिक।
5. समस्त विभागाध्यक्षों की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त सूचना पटल।
7. वैब–मैनेजर की ओर पार्टल पर सूचना अपलाड करन हेतु।
8. रजिस्ट्रार कार्यालय।
9. निदेशक कार्यालय।